न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 19/2023

उनवान

1. रामचन्द्र
2. रामगोपाल

पुत्रान महादेव प्रसाद उम्र व्यस्कान जाति माली निवासी वार्ड नं0 3 ग्राम कस्बा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी गंगजीवाली ढाणी नवलपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. हरद्वारीलाल पुत्र घीसालाल उम्र व्यस्क जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 15 ग्रेटर कैलाश कॉलोनी अपेक्स मॉल के पिदे टोंक रोड जयपुर जिला जयपुर राज0।
2. उप पंजीयन, उप पंजीयन कार्यालय मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
3. राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

4. फूली देवी पत्नी महादेव
5. बनवारी
6. सुरेश

पुत्रान महादेव जाति माली निवासी वार्ड नं0 3 ग्राम कस्बा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी गंगजीवाली ढाणी नवलपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

7. तोफली पुत्री महादेव पत्नी लादूराम सैनी
8. गोठी देवी पुत्र महादेव पत्नी रामेश्वर

समस्त जाति माली हाल निवासी रूण्डल मानपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।

9. रामेश्वरी पुत्री महादेव पत्नी अर्जुन लाल
10. गीता पुत्री महादेव पत्नी गोकुल

समस्त जाति माली हाल निवासी बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री रविशंकर अग्रवाल, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री जितेन्द्र पलसानियां, वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :– 15/4/24

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम –11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल के द्वारा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण प्रश्नगत आराजी मुतनाजा के बाबत् दावा इस्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा वाद पत्र में अंकित किये गये तथ्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13, 15, 19 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा होती है। प्रस्तुत वाद पत्र में उक्त धाराओं के अन्तर्गत गठित होने वाले आवश्यक बिन्दओं का अभाव है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कानूनन नहीं की जा सकती है। प्रार्थी/ प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब देही में अंकित तथ्यों के आधार पर भी वादीगण का प्रस्तुत दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है, बल्कि इसी अवस्था में संव्यय खारिज किये जाने लायक है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1/ प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद मय हर्जा ख़र्चा खारिज फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने दस्तावेज व न्यायिक दृष्टान्त (आर.बी.जे. 2023 114 , 2023 आर.आर.टी. (2) 922 व 2022 (2) आर.आर.टी. 118) पेश किये।

वकील वादी/ अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश कर जाहिर किया कि वादीगण के वाद–पत्र अंकित तथ्यों और वाद पत्र के अवलोकन से वादीगण का वाद पत्र अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए प्रस्तुत किया है जो कि वादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते हुये आ रहे होने से उक्त अधिनियम की धाराओं के तहत आने से घोषणा कराने के अधिकारी है तथा वाद पत्र उक्त धाराओं के अन्तर्गत गठित होने वाले आवश्यक बिन्दुओं का अभाव नहीं है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण पूर्वज भूमि पर काबिज काश्त खातेदार होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के लिए कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी ने गलत मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने गलत रूप से विधि के खिलाफ जाकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर जवाबदेही की गई है, जो खिलाफ कानून, खिलाफ मौका के गलत रूप में जवाब देही किये जाने से प्रार्थना–पत्र गलत विधि विपरित तरीके से पेश किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधि विपरित तरीके से पेश किये जाने से प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील <u>प्रार्थी/प्रतिवादीगण</u> ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा वाद पत्र में अंकित किये गये तथ्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13, 15, 19 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा होती है। प्रस्तुत वाद पत्र में उक्त धाराओं के अन्तर्गत गठित होने वाले आवश्यक बिन्दओं का अभाव है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कानूनन नहीं की जा सकती है। प्रार्थी/ प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब देही में अंकित तथ्यों के आधार पर भी वादीगण का प्रस्तुत दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है, बल्कि इसी अवस्था में संव्यय खारिज किये जाने लायक है। वादीगण का दावा विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायहित में खारिज किये जाने योग्य है।

वकील <u>अप्रार्थी/वादीगण</u> ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया प्रकरण भिन्न होने से <u>प्रार्थी/प्रतिवादीगण</u> का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉ तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:–

क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।

(ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।

(घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।

(च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु (घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है। अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया । हस्तगत प्रकरण में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया एवं वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के बिन्दू सं0 2 में इंगित किया कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र में अंकित किये गये तथ्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13, 15, 19 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा होती है। प्रस्तुत वाद पत्र में उक्त धाराओं के अन्तर्गत गठित होने वाले आवश्यक बिन्दओं का अभाव है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कानूनन नहीं की जा सकती है। प्रकरण में प्रथम दृष्टतया जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एडवर्स पजेशन के आधार पर पेश किया गया है तथा दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा खातेदारी का अनुतोष चाहा है, जबकि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष दिया जाना विधि विपरित है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादीगण वाद पत्र में विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकार नहीं है। रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकार नहीं होने से व एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत करने से वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित है। वकील प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है अपितु विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/4/24 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर ग्रामीण (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 19/2023

[Seal: न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते]

उनवान

1. रामचन्द्र
2. रामगोपाल

पुत्रान महादेव प्रसाद उम्र व्यस्कान जाति माली निवासी वार्ड नं0 3 ग्राम कस्बा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी गंगजीवाली ढाणी नवलपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. हरद्वारीलाल पुत्र घीसालाल उम्र व्यस्क जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 15 ग्रेटर कैलाश कॉलोनी अपेक्स मॉल के पिदे टोंक रोड जयपुर जिला जयपुर राज0।
2. उप पंजीयन, उप पंजीयन कार्यालय मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
3. राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

4. फूली देवी पत्नी महादेव
5. बनवारी
6. सुरेश

पुत्रान महादेव जाति माली निवासी वार्ड नं0 3 ग्राम कस्बा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी गंगजीवाली ढाणी नवलपुरा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

7. तोफली पुत्री महादेव पत्नी लादूराम सैनी
8. गोठी देवी पुत्र महादेव पत्नी रामेश्वर

समस्त जाति माली हाल निवासी रूण्डल मानपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज0।

9. रामेश्वरी पुत्री महादेव पत्नी अर्जुन लाल
10. गीता पुत्री महादेव पत्नी गोकुल

समस्त जाति माली हाल निवासी बाडीजोडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री रविशंकर अग्रवाल, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री जितेन्द्र पलसानियां, वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :– 15/4/24

[signature]
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

उक्त डिक्री आज दिनांक ....15/4/24.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner